

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांक जविप्रा/अ.आ./एलपीसी/10/डी-204,
अ.आ./एलपीसी/2015/डी-471

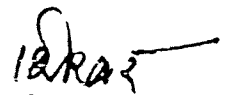
दिनांक : 23.06.2015

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश कमांक जविप्रा/अ.आ./एलपीसी/10/डी-204, दिनांक 21.09.2010 द्वारा सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि एवं संपत्ति) एवं संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) की एक प्री-एलपीसी समिति से प्रकरणों की जांच करवा कर एलपीसी की बैठक में रखे जाने वाले एजेण्डा/नोट को आयुक्त जविप्रा से अनुमोदन करवाने की व्यवस्था की गयी थी। रिसर्जेंट राजस्थान तथा निजी खातेदारी योजनाओं इत्यादि के संबंध में बड़ी संख्या में भूमि आवंटन से संबंधित प्राप्त हो रहे प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में आंशिक संशोधन कर इस प्री-एलपीसी की कमेटी का पुनर्गठन कार्यालय आदेश कमांक जविप्रा/अ.आ./एलपीसी/2015/डी-452, दिनांक 11.06.2015 द्वारा किया गया था।

इस संबंध में बड़ी संख्या में भूमि आवंटन से संबंधित प्राप्त हो रहे प्रकरणों, अधिकारियों की व्यस्तता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया कि सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), विशेषाधिकारी (आर. एम.) तथा अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) की प्री-एलपीसी कमेटी द्वारा भूमि आवंटन से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार कर इसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

प्री-एलपीसी की बैठक प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाए। यदि किसी कारण से इन पांच में से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं रह सके, तब भी प्री-एलपीसी बैठक का आयोजन हर सोमवार को हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त पांच में से तीन अधिकारियों की उपस्थिति होने पर भी प्रकरणों पर प्री-एलपीसी द्वारा विचार कर प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाए। अतिरिक्त आयुक्त (भूमि एवं संपत्ति) इस समिति के संयोजक होंगे।

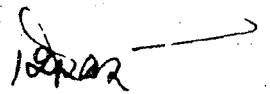


(शिखर अग्रवाल)

जयपुर विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी/प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि), जविप्रा, जयपुर।
3. संयुक्त आयुक्त (आर. एम. एण्ड सी.), जविप्रा, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (आर0 एण्ड एम0), जविप्रा, जयपुर।
5. समस्त उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. रक्षी पत्रावली।



जयपुर विकास आयुक्त